18/10/25 पत्रावली आज पेशी में ली गई। बहस अपक्षों सुनी जा चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र O9R13 CPC पेश कर याचित किया गया है कि अनवानी प्रकरण सं. 167/23 रजीराम आदि v/s कल्ला आदि में भिन्न प्रतिवादी सं. 17 ता 20 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कर 5.9.2024 को डिक्री पारीत की गई जो विधि विरुद्ध है तथा प्रकरण में विधिवत तामिल नहीं होने का आक्षेप कर इस न्यायालय द्वारा पारीत डिक्री दिनांक 5/9/2024 को अपास्त किये जाने का अनुतोष याचित किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर देरी माफ किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 18 की ओर से अधि. सुरेन्द्र सवरण व

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	~~की ओर से रसप्रीत सिंह~~ अप्रार्थी सं. 20, 21 उपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 1 ता 18 द्वारा प्रार्थना पत्र पर एतराज जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। आदेश 9 नियम 13 के प्रावधानान्तर्गत कोई डिक्री जो प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित कर जारी की गई है। वह प्रतिवादी उसे अपास्त करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकेगा। यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि समन तामील सम्यक रूप से नहीं हुई थी या वह वादी वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने के लिए किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के खिलाफ है वहां तक वह अपास्त कर दी जावे। और वाद में कार्यवाही के लिए दिवस नियत किया जावे।

हस्तगत प्रकरण में मूल पत्रावली सं. 167/2023 का अवलोकन किया गया। वादपत्र 10/5/2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। आदेशिका दिनांक 26/10/23 को रजिस्टर्ड तलबी करवाये जाने का आदेश जारी किया गया है। प्रतिवादी सं. 17 ता 20 के नाम रजि. रसीदें वकील वादी द्वारा मय Track Report पेश की है जिसमें विधिवत तामील होने की पुष्टि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होती है। मूल पत्रावली 18/2023 को दर्ज होकर दिनांक 5/9/2024 को डिक्री पारीत की गई। उक्त डिक्री में हस्तगत प्रार्थना पत्र में मौजूद प्रार्थीगण पतराम आदि को सम्यक रूप से तामिल प्राप्त हुई है जो Track Report से साबित है, यह भी है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 5/9/2024 में प्रतिवादी सं. 1 ता 20 के नाम 0.759 हेक्टेयर के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। इस न्यायालय द्वारा पारीत डिक्री पूर्णत: विधि सम्मत व सम्यक तामिल अंतर्गत पारीत की गई है जिसे अपास्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। यह भी है कि प्रार्थीगण का यदि हक हिस्सा प्रभावित होता है या अन्य अनुतोष हो तो प्रार्थीगण के पास अपीलीय उपचार उपलब्ध है। उक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 9 नियम 13 भलीभांति साबित नही होने के कारण अस्वीकार किया जाता है तथा खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया। [signature]

उपखण्ड अधिकारी